न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–84 / 2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. जमनी पत्नी शंकर दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. भैरू पुत्र शंकर दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. रामेश्वर उर्फ रमेश पुत्र शंकर दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. भगवत लाल पुत्र शंकर दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. कैलाशी पुत्री शंकर दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र भूरा दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. रणजीत पुत्र नारायण दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा
3. प्रीतम पुत्र नारायण दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
4. पुजा पुत्री नारायण दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
5. लाली पत्नी नारायण दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा
6. सागर पत्नी भूरा दरोगा आयु वयस्क निवासी मण्डपिया, तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) (मृत)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा भीलवाड़ा (राज.)
8. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय, भीलवाड़ा
9. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पांरोल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1.श्री शोभागमल कुमावत प्रार्थी अधिवक्ता

2. श्री अजय नाहर अप्रार्थी अधिवक्ता

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा, विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
पार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट

निर्णय दिनांक 26/12/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत द्वारा दिनांक 19.06.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 84 / 2017 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

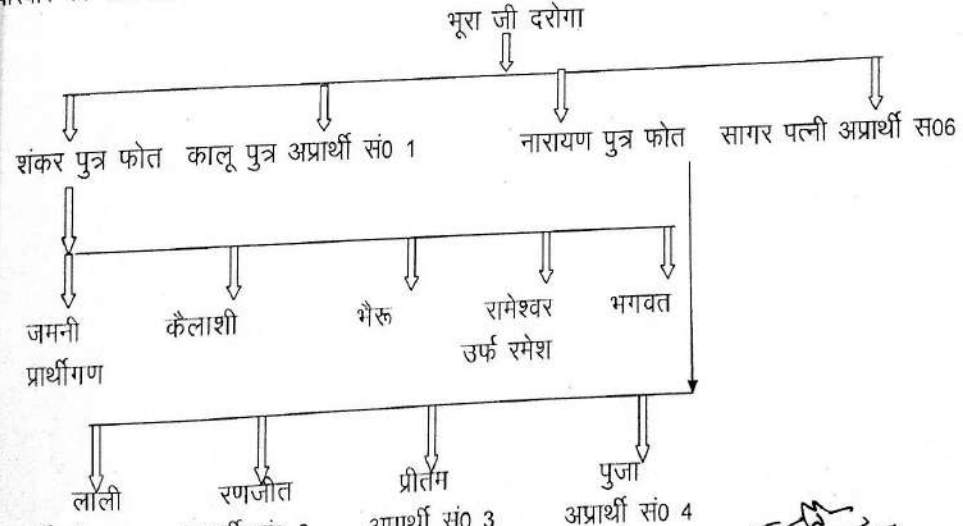

26/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मुझरास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की खतोनी नम्बर 9 में आराजी नम्बर 122 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 123 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 186 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 187 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 188 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 254 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित आराजियात राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के नाम पर दर्ज है। उक्त आराजियात में वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पारिवारिक सजरे अनुसार प्रार्थीगण का 1/4, विपक्षी संख्या 1 का 1/4, विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 का 1/4 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 6 का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर इसी अनुपात में काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मुझरास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की खतोनी नम्बर 9 में आराजी नम्बर 122 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 123 रकबा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 186 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 187 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 188 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 254 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर भूरा जी के तीनों लड़को शंकर, कालू, नारायण द्वारा वर्षो पूर्व हुए मौखिक बंटवाडे अनुसार रोड की तरफ तीनों भाई समान रूप से हक हिस्से अनुसार उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित आराजित का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

विवादित आराजीयात संयुक्त शामलाती राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने व हक हिस्सा रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से पक्षकारों के मध्य आये दिन लगान आदि जमा कराने व मेड पाली की घास काटने के बारे में विवाद होता रहता है तथा प्रार्थीगण ने कई बार विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 को उक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु कहा लेकिन विपक्षी संख्या 1 लागयत 6 हर बार टालमटोल करते रहे।

विपक्षी संख्या 01 की नियत मे फितुर है तथा विपक्षी संख्या 06 जो कि वृद्ध है, जिसे अपने बहकावे मे ले रखा है व विपक्षीगण आये दिन उक्त आराजियात पर अन्य व्यक्तियो को लेकर आते है व आराजीयात को रोड़ की तरफ की भूमि अपनी होना बताकर विक्रय आदि करने की बातचीत करते है व प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करते है एवं विपक्षी संख्या 06 के हिस्से की आराजी विपक्षी संख्या 01 या अन्य को हस्तांतरण करने की धमकिया देती है, जबकि उक्त आराजी पुश्तैनी है, जिसको विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 06 से हस्तांतरित कराने का कोई अधिकार नही है, विपक्षी संख्या 06 वृद्ध होकर अनपढ़ महिला है, जो मकान छोडकर कही पर जाने की हालत में नही है, जिससे किसी प्रकार का बहाना बनाकर विपक्षी संख्या 01 एक उक्त आराजी को वसीयत या हस्तान्तरण करवा सकता है, इसके लिए पांबद करवाया जाना आवश्यक है, इसके बाद भी किसी प्रकार का हस्तांतरण होता है तो प्रार्थीगण के मुकाबले शुरू से ही अवैध व शून्य निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 को कई बार कहा कि उक्त आराजीयात का विभाजन नही हुआ है, उक्त आराजीयात संयुक्त शामलाती है तथा उक्त आराजी को खुर्द बुर्द नही करे तो विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने व आराजी को खुर्द बुर्द करने की धमकिया देते, जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है।

उक्त आराजी का अभी बटवाड़ा नही हुआ है व प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है, यदि विपक्षीगण बिना विभाजन कराये ही उक्त आराजीयात को विक्रय आदि कर देगे तो प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण एवं क्रेताओ के मध्य कब्जे बाबत वाद विवाद बढ जायेगे। इस कारण प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उक्त आराजीयात का हक हिस्से अनुसार विभाजन कराने हेतु दिनांक 12 जून 2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण तैयार नही हुए व विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात का बिना विभाजन कराये, मुख्य सड़क की ओर से किसी अन्य को उक्त आराजी को विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करके ही रहेगे। इस कारण से यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

यदि विपक्षीगण बिना विभाजन कराये विवादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द कर देगे व आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 06 प्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नहीं करे व न हीं किसी अन्य से करावे व न ही वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पेदा करे व नहीं किसी अन्य से करावें ।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है और सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है और ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही फरमायी गयी और विपक्षीगण प्रार्थीगण को बिना बटवाडा हुए आराजीयात से बेदखल कर देगे व आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगे तो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य अनेका अनेक विवाद बढ़ जायेगे व प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति धनराशि से पूरी की जाना कतई संभव नहीं होगा।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 प्रार्थीगण को ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मुझरास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की खतोनी नम्बर 09 में आराजी नम्बर 122 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 123 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 186 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 187 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 188 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 254 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 06 छह रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा भूमि आराजी से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे तथा विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण / खुर्द बुर्द नही करे व विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के विक्रय / हस्तांतरण संबधी दस्तावेज विपक्षी संख्या 09 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 09 उसका पंजीयन नही करे व विपक्षी संख्या 08 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन नही करे तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की ओर से लिखित जवाब दिनांक 22.09.2017 को प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

वादग्रस्त कृषि आराजीयात का भूरा जी के जीवनकाल में ही बटवाडा हो गया था और बटवाडा अनुसार भूरा जी के तीनो लडको शंकर, कालु व नारायण तथा भूरा जी की पत्नी सागर अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि भूरा जी के तीनो लडको शंकर, कालु व नारायण के मध्य ही बंटवाडा हुआ हो बल्कि भूरा जी की पत्नी सागर को भी बंटवाडे से उसके हक हिस्से की कृषि आराजीयात प्राप्त हुई इसलिए राजस्व रेकार्ड में भी उसका नाम अंकित है। प्रार्थीगण के मन में बदनियती है और प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 06 सागर का हिस्सा हडप करना चाहते है इसलिए गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह प्रार्थना पेश किया है।

प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा विभाजन हेतु प्रार्थीगण को कभी इन्कार नहीं किया गया बल्कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 06 को हिरसा नहीं देकर उसका हिस्सा हडप करना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा विधिवत् रूप से बटवाडा नहीं होने दिया गया।

विपक्षी संख्या 06 विपक्षी संख्या 01 के साथ ही निवास करती है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 06 के प्रति दुव्यर्वहार किया जाता है। आये दिन प्रार्थी संख्या 01. 02 व 03 तथा उनके परिवारजन लडाई झगडा करते है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 06 के हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि को नाजायज रूप से हडप करना चाहते है। विपक्षी संख्या 06 का यह विधिक अधिकार है कि वह अपने हक हिस्से की उक्त कृषि भूमि को अपनी इच्छा अनुसार हस्तान्तरण करे। प्रार्थीगण को यह अधिकार नहीं है कि वह विपक्षी संख्या 06 को उसके हक हिस्से की उक्त कृषि आराजीयात को हस्तान्तरण कराने से कानूनी रूप से रोके अथवा बाधा उत्पन्न करे। प्रार्थीगण के मन में यह फितुर है कि विपक्षी संख्या 06 की कृषि आराजीयात येनकेनप्रकारेण हडप कर लिया जावे और उसका कोई बंटवाडा रिकार्ड पर नहीं आ पाये। प्रार्थीगण को यह अधिकार नहीं है कि विपक्षी संख्या 06 जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, को अपना हक हिस्सा हस्तान्तरित करने से रोके। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य बताकर न्यायालय से एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जो पूर्णतया: विधि विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों के विरूद्ध न्यायालय से स्थगन प्राप्त करना अवैधानिक है।

कानूनन हर खातेदार को अपने हक हिस्से को अन्तरण करने का अधिकार है। उस पर किसी प्रकार की रोक अथवा बाधा लगाया जाना अवैधानिक है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 06 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक हिस्से को अन्तरण करने का अधिकार रखती है। उसे उक्त हक हिस्से को अन्तरण करने से रोकना अवैधानिक है। प्रार्थीगण अपने फायदे के लिये विपक्षी संख्या 06 को उसके हक हिस्से को अन्तरण करने से नाजायज एवं अवैधानिक तरीके से रोकना चाहते है और इसलिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना प्रस्तुत कर उसमें गलत तथ्य बताये है। विपक्षी संख्या 06 पूर्णतया: स्वस्थचित्त होकर अपना भला बुरा स्वयं सोच समझ सकती है और अपनी इच्छानुसार अपने हक हिस्से को अन्तरण करने का अधिकार विपक्षी संख्या 06 को कानूनन मिला हुआ है जिसको न्यायालय द्वारा भी रोका नहीं जा सकता है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 06 के हक हिस्सों को हडप करना चाहते

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
26/5/25

इसलिए यह प्रार्थना मनगढन्त तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से पर काबिज है और विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी उनके हक हिस्से से बेदखल करने का प्रयास किया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 आपस में रिश्तेदार होकर सगे सम्बन्धी है वर्षों से अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। यह प्रार्थीगण के मन कितुर होकर दुराशय है कि विपक्षी संख्या 06 के हक हिस्से को किसी प्रकार हडप किया जाये और इसी दुराशय को पूर्ण करने के लिये यह प्रार्थना प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 के विरुद्ध एकतरफा स्थगन आदेश न्यायालय श्रीमान् से प्राप्त किया गया है और विपक्षी संख्या 06 को अवैधानिक तरीके से अपने हक हिस्से को अन्तरण करने से न्यायालय के माध्यम से रोका जा रहा है।

प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 06 के हक हिस्से के अन्तरण बाबत् रोकना कानूनन अवैधानिक है। इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में सभी का हिस्सा दर्शाया हुआ और राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रत्येक खातेदार को अपने हक हिस्से को अन्तरण करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्शाये हक हिस्से बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति अपने प्रार्थना में नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पोषणीय नहीं रहता है।

राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण का 1/4, विपक्षी संख्या 01 का 1/4, विपक्षी संख्या 02 लगायत 05 का 1/4 व विपक्षी संख्या 06 का 1/4 हिस्सा उक्त आराजीयात में निहित है और अपने हिस्से के अनुसार प्रत्येक पक्षकार /खातेदार को अपने हिस्से का अन्तरण करने का पूर्णतयाः वैधानिक अधिकार है। जब राजस्व रेकार्ड में सभी पक्षकारान का हिस्सा तय है और स्वयं प्रार्थीगण उक्त राजस्व रेकार्ड के हिस्से की ताईद कर रहे है तो इस बाबत् घोषणात्मक डिक्री की कत्तई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

वादग्रस्त आराजीयात का हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन कराने हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 तैयार है और राजस्व रेकार्ड में भी विभाजन का अंकन किये जाने में विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 06 के विधिक अधिकारो को पाबन्द कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विधि अनुसार प्राप्त अधिकारो को किसी भी रूप में रोकना अथवा बाधित करना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। विपक्षी संख्या 06 सागर पत्नी स्व. श्री भूरा दरोगा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हक हिस्से को अन्तरण करने हेतु विधि अनुसार स्वतंत्र है। वह अपनी स्वेच्छा से अपने हक हिस्से को किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से अन्तरण करे उस पर विधि द्वारा रोक लगाया जाना उसके विधिक अधिकारो का हनन है, न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जो पूर्णतयाः अवैधानिक है जिसे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 द्वारा न तो प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से से बेदखल किया जा रहा है और न ही प्रार्थीगण का हिस्सा प्राप्त करना चाहते है विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 अपने हक हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा यह दावा और प्रार्थना पत्र केवल मात्र इस दुराशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 06 अपने जीते जी किसी प्रकार का अन्तरण अपने हक हिस्से का नहीं कर पाये और उसकी मृत्यु के बाद उसका हक हिस्सा विरासत से प्रार्थीगण प्राप्त कर ले. इस प्रकार कानून का दुरुपयोग कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है और इसी दुराशय से यह प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णणीय क्षति नही हुई बल्कि उक्त स्थगन आदेश से विपक्षी संख्या 06 के अधिकारों का हनन हो रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा दुराशय से पूर्ण होकर यह प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर खातेदार को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि को अन्तरण करने से केवल मात्र एक कयास के आधार पर रोका जा रहा है कि विपक्षी संख्या 06 विपक्षी संख्या 01 के बहकावे में है और विपक्षी संख्या 06 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के बहकावे से अपनी कृषि आराजीयात को अन्तरित कर सकती है। केवल मात्र प्रार्थीगण का यह कयास है और इसके अलावा कुछ नहीं है। विपक्षी संख्या 06 उसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से को अन्तरित करने का अधिकार रखती है उसे कानूनी रूप से रोका नहीं जा सकता है कि वह अपने हक हिस्से को अन्तरित नहीं करे। प्रार्थीगण उक्त मामले में एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर यह चाहते है कि जब तक विपक्षी संख्या 06 फौत न हो जाये स्थगन आदेश चलता रहे और विपक्षी संख्या 06 के फौत हो जाने पर उसके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक पर अपना भी अधिकार बताकर हिस्सा प्राप्त कर ले, इसी दुराशय से यह दावा प्रस्तुत किया गया। किसी भी खातेदार को उसके नाम पर दर्ज कृषि भूमि को अन्तरित करने का अधिकार है और उसे कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर रोकना पूर्णतयाः अवैधानिक कृत्य है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान अधिवक्तगणकी बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 6 का मृत्यु प्रमाण पत्र, अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत पत्र दिनांक 20.02.2020 तथा एवीवीएनएल द्वारा जारी पत्र की फोटोप्रति पेश की। प्रकारण का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित 3 बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा
थी संख्या 6 पर अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 6 के हक
का अपने पक्ष में अन्तरण करवाये जाने की दुर्भावना होने से प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।
र्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 के कृत्य को स्पष्ट करती है। अप्रार्थी
या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के हक हिस्से की भूमि का अपने पक्ष में वसीयत पत्र का निष्पादन
ाया जाना, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पुष्ट करती है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस
दन किया कि अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा निष्पादित वसीयत निर्विवादित है और अप्रार्थी संख्या 6 को
ग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से के अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला
ी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

प्रकरण में दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के
में जरिये वसीयत अन्तरण किये जाने की कार्यवाही की गई है। चुंकि मूल वाद में वादी और
वादी संख्या 6 के हक हिस्से की घोषणा चाही गई है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी
ख्या 6 के हक हिस्से का अन्तरण जरिये वसीयत होने से वादी द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष का
ण्डन हो जायेगा अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

सुविधा का संतुलन– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के हक हिस्से की भूमि में से अपना
ख्या बहामी बंटवारे के अनुसार होने से सुविधा का संतुलन साबित होने का निवेदन किया गया है।
थ ही दौराने वाद वादग्रस्त भूमि में से यदि किसी हिस्से का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिये
ाने पर वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना जाहिर की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन
किया कि वादग्रस्त भूमि का पूर्व में बहामी बंटवारा हो चुका है और प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत
के पूर्वज भूरा जी की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि उनके तीनों पुत्रों व उनकी पत्नी सागर के मध्य
विभाजित हो गई है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा।
प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 के हक हिस्से की भूमि पर उभयपक्षकारान द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया
ना रहा है। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सख्या 6 के हक हिस्से की भूमि का स्वत्व का निर्धारण
किया जाना संभव नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने
वाद अप्रार्थी संख्या 6 पर अपने प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए अपने पक्ष में वसीयत निष्पादित करवा
ली है। यदि राजस्व रेकार्ड में उक्त वसीयत का अमल दरामद कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण
वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान/अन्तरण कर देंगे। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति
होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया
कि अप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि का अन्तरण करने में विद्यिक रूप से
सक्षम थी। जिससे उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत पूर्णतया वैद्य है। जिसका
अन्तरण राजस्व रेकार्ड में करवाये जाने से रोकना उचित नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य अप्रार्थी संख्या 6 के हक हिस्से को लेकर वाद विवाद
है। जिसका अंतिम रूप से निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। उससे पूर्व यदि वसीयत
का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होने की स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि अन्यत्र अन्तरण किये जाने
पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना संभव है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी अपने पक्ष में
साबित कराने में सफल रहा है।

साथ ही न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
दिनांक 22.06.2017 को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त
विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम को सिद्ध करने में सफल रहा है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में
निष्पादित वसीयत का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी
संख्या 7 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद्ध किया जाता है। मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण (उभयपक्षकारान) को पाबंद्ध किया जाता है। निर्णय सरे
ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/3/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा